राजस्थान सरकार

# कार्यालय लोकपाल, महात्मा गांधी नरेगा, जिला जोधपुर

क्रमांकः महात्मा गांधी नरेगा/लोकपाल/13–14/17112–19 दिनांकः 25.03.14

परिवाद अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

परिवाद संख्याः–21/2013

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| श्री हरीराम वल्द कानाराम | | ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास, पंचायत समिति फलोदी, जोधपुर |

## निर्णय (AWARD)

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महानरेगा, जोधपुर ने पत्र सं. 137 दिनांक 06.05.13 द्वारा ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास, पंचायत समिति फलोदी के विरूद्ध ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार करने बाबत शिकायत–पत्र भिजवाया है। इस शिकायत पत्र पर हरीराम वल्द कानाराम विश्नोई के हस्ताक्षर है। इसमें एक ही शिकायत दो अलग–अलग नामों से संबोधित है। एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर व एक श्रीमान जिला कलक्टर, जोधपुर को संबोधित है। शिकायत में महानरेगा में स्वीकृत टांकों को बनाये बगैर सरपंच श्री केशरीचंद विश्नोई व ग्राम सेवक केसाराम व रोजगार सहायिका ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास में लाखों सरकारी रूपये भ्रष्टाचार की जांच हेतु लिखा है। शिकायत में लिखा है कि "हम गरीब काश्तकारों का निवेदन है कि राज्य सरकार के अधीन हमारे टांके वर्ष 2010 के तहत स्वीकृत हुए जो हमे सरपंच ने शुरू–शुरू में हमें एक वर्ष तक बुलाते रहे तथा कहा कि प्रति टांको 30,000 रू. देवों तो टांके बनाने का आदेश दूंगा। इस तरह कई महिने हम गरीबों के पास पैसे नहीं होने से कार्य चालू नहीं हुआ जब हमे कार्य कागजों में चालू होने की मालूम पडा तो हम विकास अधिकारी, फलोदी कई बार मिलकर शिकायत की तब सरपंच श्री केशरीचंद विश्नोई ने एक दिन जेसीबी मशीन भेजकर मेरे खेत में टांका का गड्डा रातो रात खोद दिया जिस पर मेंने एतराज किया कि तो कहा मजदूरों से सही नहीं खुदता है। इसलिए मशीन से सही खुदेगा। जबरदस्ती से खड्डा खोद कर छोड दिया गया जो आज दिनांक 22.03.13 तक खड्डा ही पडा है इस संबंध में कई बार मैं सरपंच से मिला तो कोई जवाब नहीं देता है। मेने टांका पूर्ण करने का निवेदन भी किया तो उनकी जूबान पर एक ही बात बस 30,000 रू. हो तो बाद में टांका पूर्ण होगा। इस पर मैंने विकास अधिकारी, फलोदी कई बार मिलकर शिकायत की लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही हुई। ऐसा मालूम पडा कि मेरे टांके में फर्जी मस्टररोल पास होकर व समान बिल बनाकर पेमेंट उठा लिया गया। इस तरह श्रीमानजी से निवेदन है कि इस प्रकार सरकार में एक सरपंच इस तरह से खिलवाड कर लाखों रूपये बिना टांके बनाये हड़प कर गये तथा अधिकारी जांच नहीं कर रहे है यह बड़ा अन्याय है। इस पंचायत में दूसरे टांको के भी यही हाल है पता चला है कि अन्य टाके में मालिकों काश्तकारों से तो पुराने टांको को नया रूप देकर आधा–आधा बटवारा कर लिया है पता चला जैसे कि स्वीकृत 14 मूलराज गोपाराम/हरीराम का टांका भी पुराना था तथा उसको नया बताकर पूरी राशि हडप ली। इसी प्रकार अन्य के सभी टांके नहीं बनाकर लाखो रू. सरपंच ने हडप लिये। अतः स्वीकृत पंचायत क्षैत्र के सभी काश्तकारों के टांको की टीम गठित कर भौतिक सत्यापन व रिकार्ड जांच कराने से लाखों रूपये महानरेगा में गबन का भी खुलासा होगा। कृपया तुरन्त जांच व कार्यवाही करावे व हम गरीबों को राहत दिलावें व टांके बनायें।"

इस शिकायत की फोटो प्रति विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा, पंचायत समिति फलोदी को पत्र सं. 1051 दिनांक 22.05.13 द्वारा भिजवाकर 7 दिवसों में जांच रिपोर्ट चाही परन्तु जांच रिपोर्ट 13 दिवसों में भी प्राप्त न होने पर प्रकरण में संज्ञान लेकर सचिव ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास को पत्र सं. 2505 दिनांक 04.06.13 को मय संबंधित रिकार्ड के दिनांक 12.06.13 को उपस्थित होने को आदेशित किया गया परन्तु दिनांक 12.06.13 को उपस्थित नहीं हुआ अतः पुनः रजिस्टर्ड पत्र सं. 2944 दिनांक 20.06.13 द्वारा दिनांक 09.07.13 को उपस्थित होने को आदेशित किया गया। सचिव, ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास केसाराम ने दिनांक 09.07.13 को दूरभाष पर दिनांक 11.07.13 को उपस्थित होने के लिए निवेदन किया, जिसे स्वीकार कर दिनांक 11.07.13 की पेशी दी गयी।

दिनांक 11.07.13 को सचिव, ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास उपस्थित हुआ उसे संबंधित दस्तावेज जैसे टांको की स्वीकृतियां, अधूरे टांको की स्थिति व टांको से संबंधित पत्रावलियां लेकर दिनांक 19.07.13 को उपस्थित होने को आदेशित किया गया। साथ ही कनिष्ठ तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक को भी मय संबंधित रिकार्ड के दिनांक 19.07.13 को उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 19.07.13 को सचिव श्री

केसाराम व रोजगार सहायक श्रीमती शारदा विश्नोई, ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास उपस्थित हुए। कनिष्ठ तकनीकी सहायक मुकेश बंजारा उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने टांको की स्वीकृति सूची प्रस्तुत की परन्तु अधूरे व प्रगतिरत टांको की पूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की। अतः यह सूचना व दो माह से अधिक समय से अधूरे पडे टांकों की सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये उसने दिनांक 25.07.13 को प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। दिनांक 25.07.13 को सचिव व रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास उपस्थित हुए। इन दोनों द्वारा हस्ताक्षरित प्रगतिरत टांको की सूचना प्रस्तुत की जिनकी सं. 13 बतायी है और अप्रारम्भ टांको की सं. 23 बतायी है। अप्रारम्भ का कारण रिवोल्विंग फण्ड की कमी के कारण इन टांको को शुरू नहीं करना बताया है और यह भी लिखा है कि अपूर्ण कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के बाद अन्य टांके शुरू करवाकरके पूर्ण करा दिये जायेंगे। प्रगतिरत टांके 4 महिने से, 1 वर्ष से अधिक समय से अधूरे ही पडे हैं।

रोजगार सहायक श्रीमती शारदा विश्नोई, ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास के बयान कलमबद्ध कर पत्रावली में रखे गये उसने बताया कि "कुल 63 टांके स्वीकृत हुए थे जिसमें से 23 टांके प्रारम्भ नहीं किय गये और 27 टांके पूर्ण हो चुके है तथा 13 टांके प्रगतिरत है। जिसकी सूची मेने आपको आज दिनांक 25.07.13 को प्रस्तुत की। 23 टांके स्वीकृत होने के बावजूद प्रारम्भ नहीं होने के कारण के संबंध में बताया कि फिलहाल सामग्री मद में राशि की कमी हैं अतः प्रगतिरत टांकों के पूर्ण होकर भुगतान होने पर अप्रारम्भ टांके हाथ में लिये जायेंगे जो टांके पूर्ण हो गये है श्रमिकों का भुगतान हो चुका हैं कोई बकाया नहीं है। गोपाराम का टांका नया बना है। पुराना नहीं है। मेंने खुद ने चेक किया है कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने मेजरमेंट लिया है। अतः इस बिन्दु पर शिकायत झूठी है। सरपंच के विरूद्ध शिकायत मेरे ध्यान में नहीं आयी है न ही किसी ने मुझे बताया।"

परिवादी श्री हरीराम वल्द कानाराम ने एक रजिस्टर्ड पत्र इस कार्यालय में भिजवाया जो दिनांक 21.08.13 को प्राप्त हुआ जिसमें सचिव व रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत व आर्थिक हानि की भरपाई करने का लिखा है। इसमें लिखा है कि "निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का यह दूसरा लेटर इस कार्यालय में भेज रहा हूँ आपके कार्यालय के आदेश व फोन से बात करने के बाद मेने ग्राम सचिव व रोजगार सहायक को जॉबकार्ड व पोस्ट ऑफिस खाता की डायरी की फोटू कोपी व आप से फोन पर बात करवाई तो मुझे कहा कि एक दो दिन में आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में से ले लेना तो मै चार दिन बाद आवेदन लेकर गया और कहा कि मेरे खाते के पेसो का क्या हुआ तो सचिव व रोजगार सहायक ने कहां कि दे देंगे क्या जल्दी है तो मेने कहा कि आप मुझे आवेदन की प्राप्ति रसीद देवे तो ग्राम सचिव ने कहा आप रोजगार सहायक शारदा विश्नोई से लेवे तो मेने शारदा विश्नोई को आवेदन दिया तो उसने मुझे प्राप्ति रसीद दे दी और कहा कि आप दिनांक 16.08.13 को मस्टररोल लेना व सरपंच, ग्राम सचिव से बात कर लेना। उसके बाद मैं 17.08.13 को ग्राम पचांयत गया तो रोजगार सहायक ने कहा हम आपके मस्टररोल नहीं देगे क्योंकि आप तो हमे जोधपुर लोकपाल से फोन से धमकी देराते हो तो मेने कहा आप मेरा मस्टररोल नहीं दे तो लिखित में देवें तो रोजगार सहायक व सचिव ने कहा कि हम आप को मस्टररोल नहीं देंगे। क्योकि आप हमारी शिकायत करते हो आप शिकायत से ही मस्टररोल लेना। तब में सरपंच साहब के पास गया तो सरपंच ने कहा पैसे तो देते नहीं और शिकायत करते है शिकायत से काम कभी नहीं होता काम पैसों से होता हैं तो मेने कहा मेरे पास पैसे नहीं है आप मेरा काम पूरा करावों तो सरपंच ने कहा आप कहीं जाओ आपका काम पूर्ण नहीं होगा। 30000 रू. मास्टर मनोहरलाल को दे देना उसके बाद मेरे पास आना आपका काम पूर्ण हो जायेगा। रोजगार सहायक व सचिव ने कहा कि आप इसका मस्टररोल रोक लिजिये और बाद में देखेंगे तो मेने कहा आप मेरा मस्टरोल दे दो मैं आपको काम पूरा होने पर पैसे दे दूंगा तब रोजगार सहायिका ने कहा मस्टररोल फलोदी से आया नहीं आप फलोदी से लेना। तब मुझे कहा कि आपने लोकपाल कार्यालय से फोन पर क्या कहा था तो उन्होने मुझे कहा आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोकपाल में जाये आपको वही मस्टररोल मिलेगा। अतः मुझ प्रार्थी को न्याय व मस्टररोल सामग्री दिलावे और सरपंच, ग्राम सचिव व रोजगार सहायिका के खिलाफ शक्त से शक्त कानूनी कार्यवाही करने का आदेश करें।"

इस शिकायत की फोटो प्रति विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा पंचायत समिति फलोदी को पत्र स. 9011 दिनांक 22.08.13 द्वारा भिजवाकर 7 दिवसो में जाच रिपोट चाही परन्तु जाच रिपोट अभी भी नही भिजवायी।

इन टांको की तकनीकी जांच हेतु श्री ओमप्रकाश परिहार, सहायक अभियंता महानरेगा, जोधपुर को पत्र सं. 8054 दिनांक 21.08.13 द्वारा लिखा गया।

परिवादी की समस्या का निस्तारण नहीं होने के कारण पुनः पत्र सं. 9038–41 दिनांक 23.08.13 द्वारा सचिव, व कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री मुकेश बंजारा व रोजगार सहायक तथा परिवादी हरीराम को दिनांक 06.09.13 को तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में सचिव, व कनिष्ठ तकनीकी सहायक तो उपस्थित हुए परन्तु रोजगार सहायक उपस्थित नहीं हुई।

सचिव, ग्राम पंचायत लोहावट के बयान कलमबद्ध कर पत्रावली में रखे गये। उसने बताया कि "मैं आज दिनांक 06.09.13 को आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आपने पूछा कि हरीराम का टांका अपना खेत अपना काम योजना में स्वीकृत है तो मेने कहा हॉ। जब आपने पुछा कि क्या हरीराम के टांका निर्माण में जेसीबी से काम हुआ है? तो मेने कहा कि मजदूरों से काम हुआ है। जब आपने पूछा कि हरीराम ने बताया कि उसके टांके पर पप्पूदेवी/मांगीलाल, सुवटी/देशराजराम द्वारा काम नहीं किया है तो मेने आपको बताया कि मेने कार्य चलते वक्त अवधि दिनांक 01.07.12 से 15.07.12 तक के मस्टररोल को चेक नहीं किया परन्तु जेटीए. के मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया। श्री हरीराम द्वारा आवेदन दिनांक 09.09.13 तक दे देगा तो उसका मस्टररोल जारी करवा देंगे। मस्टररोल वार्ड पंच की उपस्थिति में दिया जायेगा ताकि इसका टांका पूर्ण हो सकें।"

कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री मुकेश बंजारा के बयान भी कलमबद्ध किये गये उसने बयान मे बताया कि उसके पास ग्राम पंचायत लोहावट का चार्ज माह जून 2013 से है। उसने हरीराम वल्द कानाराम का टांका स्वीकृत होना व इस पर एक पखवाडा दिनांक 01.07.12 से 15.07.12 तक कार्य होना बताया। जिस पर रू. 5610 व्यय हुआ है इसकी माप पुस्तिका तत्कालीन जेटीए. रामसिंह मीणा ने भरी है व ये ग्राम पंचायत लोहावट कार्यालय में है।

परिवादी श्री हरीराम के भी बयान कलमबद्ध किये गये उसने बताया कि "मैं दिनांक 06.09.13 को मेरी शिकायत के मामले में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेने आपको बताया कि मेरा टांका निर्माण हंसादेश में मंजूर है। जिसका मस्टररोल मुझे नहीं दिया और इसको सरपंच ने जेसीबी से खुदवाया है पूरा खोद दिया है जब खोदा था तब मैं नोखा था। मेरे पिताजी कानाराम व मेरी पत्नि ने मुझे बताया और इसका फर्जी मस्टररोल भरा। टांका निर्माण में मेरी पत्नि सरूपी व पिता कानाराम ने कुछ कार्य किया मैं नोखा गया हुआ पिछे से जोसीबी से खोदा। जोसीबी मशीन के साथ मास्टर मनोहर था जो कि रोजगार सहायिका का पति है। मेरे टांका निर्माण में दिनांक 01.07.12 से 15.07.12 तक पप्पूदेवी/मांगीलाल व सूवटी/देशराजराम द्वारा भुगतान उठा है। मेरी पत्नि व पिता टांका खोद रहे थे तो मास्टर मनोहर जेसीबी लेकर आया और कहा कि आदमियों से टांका नहीं खुदेगा और जेसीबी से खोद कर चला गया और उक्त दो मजदूरों के नाम से सरपंच व ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने मिल कर फ़र्जी भुगतान उठाया। अतः दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।"

सचिव, ग्राम पंचायत लोहावट ने पत्र सं. 1204 दिनांक 19.08.13 प्रस्तुत किया, जिसमें विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा, पंचायत समिति फलोदी ने श्रमिकों के सही खाता सं. में भुगतान करने का लिखा है। जिसमें 25 श्रमिकों के खाते है। जिसमें भुगतान जुलाई 2012 से अप्रेल 2013 तक की अवधि का संबंधित श्रमिकों के सही खाते में जमा नहीं होने के कारण उन्हें भुगतान नहीं हुआ हैं यह पत्र भी 11 दिवसों बाद रोजगार सहायक द्वारा उपडाकपाल लोहावट को दिया है। जिसके संबंध में दूरभाषवार्ता पर रोजगार सहायक शारदा विश्नोई ने बताया कि मैं 5 सूत्री कार्यक्रम के काम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सकी व इन श्रमिकों को भुगतान नहीं होने की बात की। संशोधित खाता न. के बाद भुगतान हो जायेगा।

परिवादी के बयान व पत्रों के संदर्भ में पंत्र सं. 9893/13.9.13 द्वारा, सचिव 9894/13.09.13 द्वारा सरपंच व पत्र सं. 9895/13.9.13 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को लिखा जिसमें लिखा कि "उसे मस्टररोल नहीं दिया गया और टांके की खुदाई जेसीबी मशीन द्वारा अध्यापक श्री मनोहर की उपस्थिति में खुदवाया गया जो कि रोजगार सहायक शारदा देवी के पति है। उसने यह भी बताया कि उसके टांका निर्माण में दिनांक 01.07.12 से 15.07.12 तक पप्पूदेवी/मांगीलाल व सुवटी/देशराजराम द्वारा काम नहीं किया गया परन्तु इनके नाम से फर्जी भुगतान उठा है। इसी प्रकार उसने आपके विरूद्ध शिकायत में आरोप लगाया है कि आपने उसके टांके को पुरा करने के लिए आपने रू. 30,000 की रिश्वत की मांग की। उसने दिनांक 21.08.13 को रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त शिकायत में लिखा है कि "जब मैं सरपंच साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप पैसे तो देते नहीं है और शिकायत करते है। शिकायत से काम नहीं होता काम पैसों से होता है। [illegible] टांका पूर्ण [illegible]
[illegible]
मै आपका काम करूंगा। तो मेने कहा वह तो मास्टर हैं। मैं आपके पुत्र को दे दुंगा। तब सरपंच ने कहा आप पैसे देत नहीं हो और काम करवाना चाहते हो, तो मैने कहा मेरे पास पैसे है नहीं। तब सरपंच व रोजगार सहायक व ग्राम सचिव ने कहा कि आप इसका मस्टररोल रोक लिजिए और बाद में देखेंगें।" इस प्रकार इस संबंध में यह तथ्य इस बात को इंगित करता है कि एक वर्ष तक मस्टररोल लाभार्थी को न देकर उसे परेशान करना झलकता है।

परिवादी श्री हरीराम का टांका एक वर्ष से अधिक समय हो जाने के बावजुद न केवल पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि लाभार्थी को मस्टररोल भी अभी तक जारी नहीं किया गया जो परिवादी के विरूद्ध अनावश्यक परेशान करना है।

श्री हरीराम/कानाराम ने उसके टांका खुदाई पर कार्य नहीं किया परन्तु उसका नाम मस्टररोल में उक्त पखवाडे में लिखा जाकर फर्जी भुगतान राजकोष से उठाया गया।

25 श्रमिकों को माह जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के पखवाडों क़ा भुगतान केवल इस लिए नहीं मिला क्योंकि उनके पोस्ट ऑफिस खाता सं. गलत लिखे गये और इसको 15 माह तक के विलम्ब के बावजुद नहीं मिला जबकि गलत खाता सं. को शीघ्र संशोधित कर भुगतान करवाया जाना चाहिये था। जो ग्राम पंचायत के स्तर पर गंभीर कर्तव्यहीनता है।

अतः आप 10 दिवस में स्थिति स्पष्ट करें कि क्यो न इस प्रकरण की प्रथम इतला रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने की अनुशंसा की जाये व विलम्ब से श्रमिकों को भुगतान के लिए कार्यालय अध्यक्ष होने के नाते आपका कर्तव्यचूक मानकर आवयश्क कार्यवाही की अनुशंसा की जाये।

आपका जवाब पत्र जारी होने के 10 दिवसों में प्राप्त न होने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते और प्रकरण में एक तरफा निर्णय ले लिया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें सूचित रहे।"

परिवादी ने दिनांक 24.09.13 को उपस्थित होकर एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने लिखा कि सरपंच व सचिव द्वारा कारीगर को बजरी के साथ रेत मिलाने को कहा गया तो मेनें मनाकर दिया तो आधे दिन बाद कारीगर सूरजाराम/भीखाराम मेघवाल को उठाकर ले गये। उसने यह भी लिखा है कि काम के चलते दिनांक 16.09.13 से 23.09.13 तक कोई जेईएन या एईएन का निरीक्षण करने नहीं आया। उसके बयान कलमबद्ध कर पत्रावली में रखे गये बयान में उसे पत्र की बात ही दोहरायी कि उसका काम बजरी में रेत डालने से मनाकरने से बंद करवा दिया। बयान में उसने कारीगर लगाकर टांके को जल्दी पूरा करने का लिखा है। अतः पत्र सं. 10382/35.9.13 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत लोहावट को लिखा गया कि पूर्व कारीगर सूरजाराम कार्य नहीं करना चाहता है तो उसके स्थान पर अन्य कारीगर को लगाकर टांका निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करावें। तकनीकी सहायक को भी इस पत्र की प्रति दी गयी।

सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक ने क्रमशः पत्र सं. एसपीएल 1, एसपीएल 2, एसपीएल 3 दिनांक 20.9.13 द्वारा स्थिति स्पष्ट की जिसमें लिखा कि विलम्ब से कार्य शुरू करने के कारण परिवादी की जगह निश्चित करने में असमंजस्य की स्थिति रही। मौजीज लोगों को बुलाकर जगह तय की गयी तब काम प्रारम्भ हुआ। बाद में खुदाई की जगह कृषि कार्य के कारण श्रमिकों के संबंध में उन्होंने लिखा है कि परिवादी ने ही उनके नाम आवेदन पत्र में लिखे थे और उन्हीं 5 व्यक्तियों को पखवाडे में रोजगार दिया गया था और कनिष्ठ तकनीकी सहायक रामकिशन मीणा के माप लेकर बाद ही भुगतान किया गया है।

शारदा विश्नोई कनिष्ठ लिपिक ने अपने जवाब में इसके अतिरिक्त यह भी लिखा है कि उसने वेजजिस्ट दिनांक 21.08.13 को ही जमा करादी थी, परन्तु डाकघर में भुगतान सूची के भुगतान की पोस्टिंग करने के बाद ही प्राप्ति रसीद देते है।

सचिव, ग्राम पंचायत लोहावट केसाराम ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि मेरे द्वारा कार्य की अधिकता के कारण कार्य निरीक्षण नहीं किया गया।

परिवादी ने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 17.02.14 द्वारा पुनः लिखा है कि उसके स्वीकृत पानी के टांके के उपर पट्टियां नहीं डाली गयी है और आगोर भी नहीं बना रहे है और 5 श्रमिकों का मजदूरी का भुगतान अवधि 16.09.13 से 30.9.13 नहीं किया है। अतः सरपंच, सचिव को अधूरे टांका निर्माण को 21 महिनों में भी पूरा नहीं करने के कारण कारण बताओं नोटिस 9893–97 दिनांक 13.09.13 द्वारा जारी किया गया कि क्योन इस अधूरे टांका निर्माण पर हुए व्यय को निष्फल मानकर इसकी वसूली मय ब्याज के करने की अनुशंसा कर दी जाये।

इसके जवाब में सरपंच, ग्राम पंचायत लोहावट ने अपने पत्र सं. [illegible] दिनांक 20.09.13 द्वारा जवाब में लिखा है कि निवेदन है कि हरीराम का टांका दिनांक [illegible].07.11 को स्वीकृत हुआ जून 2012 [illegible] प्रारम्भ के संबंध में हरीराम को कहा गया लेकिन उसके द्वारा अपने खेत में इधर–उधर खोदने की जिद के कारण स्थान निर्धारित नहीं होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ, इसके आस–पास वाले लोगों को बुलाकर जगह तय की तथा जुलाई 2012 के प्रथम पखवाडे में कार्य प्रारम्भ किया लेकिन पखवाडे के अंत में खुदवाई की जगह पर कृषि कार्य कर दिया जिसके कारण कार्य में बाधा व विलम्ब हो गया। इसके झगडालू स्वभाव के कारण कार्य में बाधा आती रही। जुलाई 2012 के प्रथम पखवाडे में श्रमिकों ने कार्य नहीं किया जबकि जेईएन द्वारा कार्य माप किया गया है इसके द्वारा रूप्ये मांगने की मनगढंत बाते कही है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इसको पूरा सहयोग व नियमानुसार सलाह दी गई है कि टांका खुदवाने पर ही कार्य पूरा हो सकेगा। हरीराम के परिवर्तनशील तथ्य कहने के कार्य विलम्ब हुआ है। जुलाई

2012 के प्रथम पखवाडे में हरीराम द्वारा आवेदन किया गया उसका भुगतान डाकघर में जमा हो गया तथा कुछ श्रमिकों के खाता सं. लिपिकीय त्रुटि के कारण पंचायत समिति स्थत से गलत दर्ज हो गए ये जिसकी सूचना श्रमिकों द्वारा कुछ माह बाद देने के कारण भुगतान में विलम्ब हो गया। नरेगा योजना के कार्य आवेदन पर हरीराम के हस्ताक्षर एवं फिंगर प्रिंट है।"

सचिव, ग्राम पंचायत लोहावट ने अपने पत्र सं. एसपीएल 1 दिनांक 20.09.13 द्वारा जवाब में लिखा है कि "निवेदन है कि हरीराम का टांका दिनांक 22.07.11 को स्वीकृत हुआ। पार्थी ने जब–जब कार्य आवेदन प्रस्तुत किया मस्टररोल जारी हुआ परन्तु कार्य नहीं होने पर जेटीए द्वारा मस्टरोल निल कर दिये गये। जुलाई 2012 के प्रथम पखवाडे में कार्य प्रारम्भ किया। हरीराम द्वारा आवेदन किया गया जिसमें श्रमिकों द्वारा काम किया गया तथा इनके भुगतान डाकघर में जमा कराये गये। उक्त पखवाडे में कार्य अधिकता के कारण प्रत्येक कार्य का निरीक्षण नहीं हो सका। खाता सं. लिपिकीय त्रुटि के कारण पंचायत समिति स्तर से गलत दर्ज हो गए। इस बारे में डाकघर या किसी अन्य द्वारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ब्लकि श्रमिकों द्वारा पुछकर सूची बनाकर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा खाता शुद्धिकरण करवाकर सूची पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दी गई।"

**इस प्रकरण में वाद के निम्न बिन्दु विरचित होते है–**

1. क्या परिवादी हरीराम का टांका निर्माण अपूर्ण है और ग्राम पंचायत लोहावट द्वारा उसके टांका निर्माण के पूर्ण न होने के कारण उसका लाभ लाभार्थी को नहीं मिलने के कारण निष्फल व्यय है और क्या ग्राम पंचायत लोहावट के पदाधिकारियों द्वारा इसके टांके निर्माण में असहयोग किया गया है?
2. क्या पप्पूदेवी पत्नि मांगीलाल व सूवटी पत्नि देशराजराम व हरीराम पुत्र कानाराम के नाम से फर्जी हाजरी भरी गयी है और भुगतान उठाया गया है?
3. क्या परिवादी के टांका निर्माण में लगे श्रमिकों को भुगतान नहीं हुआ है या विलम्ब से हुआ है?

**जहां तक वाद का प्रथम बिन्दु है** परीवादी के टांका निर्माण की स्वीकृति जरिये आदेश सं. 2807 दिनांक 22.07.11 को हुई थी दो वर्ष में भी अपने जवाब में लिखा है कि परिवादी द्वारा इधर–उधर टांका खोदने की जिद के कारण स्थान निर्धारित नहीं होने के कारण जून 2012 में कार्य प्रारम्भ हो सका। सरपंच का यह कथन इस कारण स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि टांका निर्माण के आवेदन में प्रार्थी द्वारा खसरा न. अंकित किया जाता है और जेटीए द्वारा Layout1 दिया जाता है। फिर स्थान निर्धारित में एक वर्ष का असाधारण विलम्ब को परिवादी की आनाकानी माना जाना तार्किक प्रतीत नहीं होता है और यदि वह आवेदन–पत्र निर्धारित स्थान पर टांका निर्माण नहीं करवाना चाहिये। फिर मस्टररोल जारी करने में भी परिवादी को सहयोग नहीं किया गया और परिवादी ने सरपंच पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। यद्यपि परिवादी सरपंच द्वारा रिश्वत मांगने के साक्ष्य के अभाव में इस तथ्य को प्रमाणित नहीं कर सका। अभी भी परिवादी के टांका निर्माण का कार्य अधूरा पडा है। इससे स्पष्ट है कि एक गरीब लाभार्थी के साथ संवेदनहीनता का व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है जबकि कई बार व्यक्तिगत रूप से भी सरपंच और अन्य ग्राम पंचायत लोहावट के कर्मचारियों को परिवादी हरीराम के टांका निर्माण के अधुरे कार्य को पूर्ण करने को कहा जा चुका है।

**जहां तक वाद का द्वितीय बिन्दु है–** परिवादी हरीराम ने दिनांक 01.7.12 से 15.7.12 की पखवाडा अवधि में अपने टांका निर्माण में पप्पुदेवी पत्नि मांगीलाल, सूवटी पत्नि देशराजराम मजदूरी नहीं करने का लिखित बयान किया व स्वयं का नाम भी फर्जी हाजरी होने का लिखा है उसने बताया कि उसने भी उसके टांका निर्माण पर कार्य नहीं किया और उसने इसी कारण इस पखवाडे का उसने भुगतान भी नहीं उठाया है। सरपंच का यह तर्क कि आवेदन–पत्र पर परिवादी के ही हस्ताक्षर है परन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि संबंधित व्यक्तियों ने मजदूरी भी की हो और जब लाभार्थी स्वयं यह कह रहा है कि संबंधित उक्त व्यक्तियों ने काम नहीं किया है तो यह एक गम्भीर कूटरचित दस्तावेज की आपराधिक शिकायत है जो पुलिस अनुसंधान से ही जांच किया जाना चाहिये।

**जहां तक वाद का तृतीय बिन्दु** श्रमिकों को मजदूरी से विलम्ब का प्रश्न है दिनांक 01.07.12 से 15.7.12 के मस्टररोल का भुगतान हेतु पोस्ट ऑफिस का खाता वेजलिस्ट संशोधित कर एक वर्ष से अधिक अवधि विलम्ब से भुगतान नहीं होना व पखवाडा अवधि दिनांक 16.09.13 से 30.09.13 तक के 5 श्रमिकों के परिवादी के मस्टररोल की मजदूरी का भुगतजान 5 माह से नहीं हुआ। अतः मजदूरी के भुगतान में विलम्ब का वादप्रश्न प्रमाणित होता है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

1. परिवादी के टांका निर्माण को एक माह की अवधि में पूर्ण किया जाय अन्यथा इस अपूर्ण टांका निर्माण पर हुआ सम्पूर्ण व्यय निष्फल मानकर वसूली सरपंच, सचिव लोहावट व कनिष्ठ तकनीकी सहायक से मय ब्याज के की जाने की अनुशंसा की जाती है।

2. निम्न लाभार्थियों के टांको को भी पूर्ण किया जाय अन्यथा इस अपूर्ण टांका निर्माण पर हुआ सम्पूर्ण व्यय निष्फल मानकर वसूली की जाने की अनुशंसा की जाती है–

| | | |
|---|---|---|
| 1) | खींयाराम/मंगलाराम हंसादेश – | 76386 |
| 2) | राजुदेवी/पूनाराम | 4318 |
| 3) | सहीराम/बगडूराम | 4136 |
| 4) | पेमाराम/मंगलाराम | 4200 |
| 5) | सहीराम/आसूराम | 4004 |
| 6) | मनोहर/आसूराम डाबर | 12168 |
| 7) | पप्पूदेवी/मोहनराम हंसादेश | 4400 |

**कुल 10,9,612**

3. पखवाडा दिनांक 01.07.12 से 15.7.12 तक एक वर्ष से अधिक अवधि विलम्ब से भुगतान न करने व परिवादी के दिनांक 16.09.13 से 30.09.13 की अवधि की मजदूरी का भुगतान में विलम्ब के लिए कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत लोहावट श्रीमती शारदा विश्नोई, सचिव श्री केसाराम के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

4. परिवादी हरीराम के टांका निर्माण के मस्टररोल दिनांक 01.07.12 से 15.7.12 के पखवाडे में पप्पुदेवी पत्नि मांगीलाल व सुवटी पत्नि देशराजराम व परिवादी स्वयं का नाम हरीराम की फर्जी हाजरी भर कर भुगतान उठाने के संबंध में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज जाकर नतीजा प्राप्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है क्योंकि जेसीबी से टांका खोदने की शिकायत को मध्यनजर रखते हुए इस बिन्दु की अपराधिक जांच आवश्यक प्रतीत होती है।

5. संबंधित विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा, पंचायत समिति फलोदी के विरूद्ध लम्बे समय से अपूर्ण टांका निर्माण कार्य व श्रमिकों को भुगतान में असाधारण विलम्ब के लिए पर्यवेक्षणिय लापरवाही के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

6. टांकों निर्माण की तकनीकी जांच हेतु श्री ओमप्रकाश परिहार सहायक अभियंता महानरेगा, जोधपुर को पत्र सं. 8054/21.08.13 द्वारा लिखा गया था परन्तु 6 माह में भी जांच रिपोर्ट नहीं भिजवायी है अतः इन टांका निर्माण की तकनीकी अधिकारी से 15 दिवसों में जांच करवाकर जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

**फैसला निर्णय में शुमार होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।**

लोकपाल
महात्मा गांधी नरेगा,जोधपुर

क्रमांकः महात्मा गांधी नरेगा/लोकपाल/13–14/17112–19 दिनांकः 25.03.14

**प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनु.–3) राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, जोधपुर।
5. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा, पंचायत समिति फलोदी, जोधपुर।
6. परिवादी श्री हरीराम वल्द कानाराम विश्नोई ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास, पंचायत समिति फलोदी जोधपुर को सूचनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

लोकपाल
महात्मा गांधी नरेगा,जोधपुर

राजस्थान सरकार

# कार्यालय लोकपाल, महात्मा गांधी नरेगा, जिला जोधपुर

क्रमांकः महात्मा गांधी नरेगा/लोकपाल/13–14/ 1660–64 दिनांकः 28.02.14

परिवाद अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

परिवाद संख्याः–07/2013

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| श्री भगवानाराम व अन्य | | ग्राम पंचायत पाबूसर, पंचायत समिति शेरगढ, जोधपुर |

## निर्णय (AWARD)

श्री भगवानाराम निवासी पाबूसर ने उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से एक लिखित शिकायत दिनांक 05.04.13 को प्रस्तुत की जिसमें उसने महानरेगा के तहत ग्राम पंचायत पाबूसर में ग्रेवल सडक कल्याणसिंह की ढाणी से सुखसागर तक को भूमि धारकों की बिना सहमति व समर्पण के निकाली जाने का लिखा है और भूमि विवादित होने का लिखा हैं और ग्रेवल सडक को राजस्व ग्राम सुखसागर तक का कार्य नहीं हो पाने का लिखा है। उसने यह भी शिकायत में लिखा है कि सरपंच व ठेकेदार ने मिलकर काम व घटिया किस्म की मूड बिछायी। वर्तमान में यह सडक कच्चा रास्ता से भी बुरी स्थिति में है। जबकि इस ग्रेवल सडक पर वाहनों की आवाजाही नही के बराबर है। उसने लिखा है कि या तो ग्रेवल सडक के कार्य को प्रारम्भ कराया जाय नहीं तो सरपंच से लागत राशि वसूल की जाय तथा घटिया व नियमानुसार कार्य नहीं करने वाले ठेकेदार का लाईसेंस निरस्त करावें व ग्रेवल सडक की जांच करते वक्त वर्तमान स्थिति की विडियो ग्राफी करवाकर निष्पक्ष व उचित जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर ग्रामीणो को न्याय दिलावें। इस शिकायत पर भगवानाराम के अतिरिक्त मनोहरसिंह, लक्ष्मणराम गोदारा व नकतसिंह के नाम से हस्ताक्षर है।

शिकायत की फोटो प्रति विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा, पंचायत समिति शेरगढ को पत्रांक 390 दिनांक 12.04.13 द्वारा भिजवाकर 7 दिवसों में जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने को लिखा गया। परन्तु एक माह से अधिक अवधि में भी जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने पर प्रकरण में संज्ञान लिया गया और सचिव, ग्राम पंचायत पाबूसर को रजिस्टर्ड पत्रांक 1730 दिनांक 17.05.13 द्वारा दिनांक 06.06.13 को मय संबंधित रिकार्ड के उपस्थित होने को आदेशित किया गया परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। पुनः रजिस्टर्ड पत्रांक 29343/20.06.13 द्वारा दिनांक 03.07.13 को उपस्थित होने को आदेशित किया गया परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। अतः पुनः रजिस्टर्ड पत्रांक 3580/05.07.13 द्वारा दिनांक 17.07.13 को उपस्थित होने को आदेशित किया जो डाक से जाने की पुष्टि नहीं होने पर पुनः पत्रांक 5233/23.07.13 द्वारा दिनांक 07.08.13 को मय संबंधित रिकार्ड के उपस्थित होने को आदेशित किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 07.08.13 को सचिव, ग्राम पंचायत पाबूसर उपस्थित हुआ। उसे कुछ दस्तावेज व इस ग्रेवल सडक कल्याणसिंह नगर से सुखसागर तक के नक्शे व खातेदारों के सहमति पत्र रू. 100 के गैर न्यायिक मुद्रांक पर नोटरीकृत की फोटो प्रति प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया। दिनांक 23.08.13 को उसने ग्रेवल सडक का नक्शा पेश किया व उसने खसरा न. 1250 व 1256 के अलावा बाकी खसरों की जमीन समर्पित करने के दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की और खेती से कार्य मुक्त होने पर ग्रेवल सडक प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया। इस जवाब की फोटो प्रति भिजवाकर परिवादी भगवानाराम को असहमति की स्थिति में 15 दिवसों में विरोध–पत्र प्रस्तुत करने के लिए पत्र सं. 9169/27.08.13 द्वारा लिखा गया कि परिवादी भगवानाराम ने दिनांक 10.10.13 को जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उसने खसरा न. 1250 व 1256 के खातेदारों से समर्पण नहीं कराया है। खसरा न. 1250 उसने मनोहरसिंह/स्वरूपसिंह पाबूसर की बतायी है। जो इस शिकायत में शिकायतकर्ता है।

सचिव, ग्राम पंचायत पाबूसर ने दिनांक 23.10.13 को पटवारी, पटवारमण्डल पाबूसर ने भूमि अविवादित होने का प्रमाण–पत्र पेश किया। जिसमें प्रमाणित किया है कि "प्रमाणित किया जाता है कि मनरेगा योजना के तहत

स्वीकृत ग्रेवल सडक कल्याणसिंह नगर से सुखसागर तक का निर्माण कार्य पर अब भूमि धारकों के द्वारा भूमि समर्पण करवा दी गयी है। अतः ग्रेवल सडक पर जहां मुरड. डाली गयी वर्तमान में अविवादित भूमि है। इसे मेरे द्वारा तस्दीक व प्रमाणित की जाती है।''

परिवादी को रजिस्टर्ड पत्र सं. 14972 दिनांक 07.02.14 द्वारा लिखा गया कि सचिव, ग्राम पंचायत पाबूसर ने इस ग्रेवल सडक से संबंधित भूमि अविवादित होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है यदि आप इससे असहमत है तो अपना विरोध पत्र अन्य कोई साक्ष्य/दस्तावेज के 7 दिवसों में प्रस्तुत करें अन्यथा बादम्याद गुजरने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है परिवाद पर निर्णय कर दिया जायेगा सूचित रहे। परन्तु परिवादी नें 20 दिवसों में भी कोई विरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया। शिकायत में वर्णित तकनीकी गुणवता के घटिया होने की तकनीकी जांच के लिए अधिशाषी अभियंता महानरेगा जोधपुर को पत्र सं. 13985/22.01.14 द्वारा लिखा गया कि तकनीकी जांच कर जांच रिपोर्ट 7 दिवसों में भिजवावें परन्तु जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने पर पुनः स्मरण पत्र सं. 14958 दिनांक 06.02.14 को लिखा परन्तु जांच रिपोर्ट आदिनांक तक अपेक्षित है।

**अतः आदेशित है कि –**

1. ग्रेवल सडक के संबंध में भूमि विवाद के संबंध में पटवारी द्वारा अविवादित भूमि प्रमाण–पत्र जरी किया जा चुका है। अतः कल्याणसिंह की ढाणी से सुखसागर तक अधुरी ग्रेवल सडक का निर्माण दो माह में पूरा किया जाय अन्यथा इसको स्वीकृति की शर्त सं. 24 के अनुसार निष्फल व्यय मानते हुए सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत पाबुसर व कनिष्ठ तकनीकी सहायक से यह निष्फल व्यय राशि रू. 458974/– मय ब्याज के वसूल किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. ग्रेवल सडक की तकनीकी जांच रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता महानरेगा जोधपुर श्री गिरीश माथुर ने एक माह से अधिक समय में भी नही दी है। अतः तकनीकी अधिकारी से तकनीकी जांच रिपोर्ट प्राप्त कर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की जाती है।

**फैसला निर्णय में शुमार होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।**

लोकपाल
महात्मा गांधी नरेगा,जोधपुर

क्रमांकः महात्मा गांधी नरेगा/लोकपाल/13–14/1660–64 दिनांकः 28.02.14

**प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राज. सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनु.–3) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, जोधपुर।
5. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा, पंचायत समिति शेरगढ, जोधपुर।
6. परिवादी श्री भगवानाराम ग्राम पंचायत पाबूसर, पंचायत समिति शेरगढ, जिला जोधपुर को सूचनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

लोकपाल
महात्मा गांधी नरेगा,जोधपुर

# कार्यालय लोकपाल (महानरेगा), जिला परिषद् अजमेर (राजस्थान)

परिवाद सं. 46/2014 निर्णय (अवार्ड) दिनांक 18.03.14

निर्णय (अवार्ड)

भंवरी देवी बनाम ग्राम पंचायत गोडियावास
पंचायत समिति श्रीनगर

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवेदिका श्री मति भंवरी देवी पत्नि स्व श्री गुमान सिंह रावत ग्राम नौलखा ग्राम पंचायत गोडियावास पंचायत समित श्रीनगर द्वारा मुख्य कार्यकारी जिला परिषद् अजमेर को प्रेषित परिवेदना की प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई।

परिवेदना में परिवेदिका ने निवेदन किया है कि मैं प्रार्थीया ग्राम नौलखा ग्राम पंचायत गोडियावास पंचायत समित श्रीनगर की निवासी हूं जो कि मैने मनरेगा में माह गई 2010 से जून 2012 के बीच विभिन्न कार्यो पर मजदूरी करने गई थी लेकिन मुझे मजदूरी का भुगतान मुझे आजदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ हैं। मैं बैंक मे जाती हूं तो जवाब मिलता है कि आपके खाते मे रूपये जमा नहीं है तथा ग्राम पंचायत मे जाती हू तो वंहा पर भी सन्तोष जनक जवाब नहीं मिलता हैं। मैं अनपढ विधवा महिला हूं तथा आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने से कई तरह की कठिनाईयो का सामना कर रही हूं तथा मुझे मानसिक कष्ट भी बहुत उठाना पड रहा है आपसे विनम्र आग्रह है कि मुझे मेरी मजदूरी का भुगतान शीघ्र से शीघ्र दिलवाने की कृपा करें तथा भुगतान में हुई देरी की लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार हो उस तत्कालीन कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही भी की जावे ताकि भविष्य में मुझ जैसे गरीब मजदूरो को ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पडे।

मुझ प्रार्थीया की बकाया मजदूरी का विवरण निम्न प्रकार है एंव जॉबकार्ड की फोटो प्रति भी संलग्न है– कार्य दिवस दिनांक 16.05.2010 से 31.05.2010 व 01.06.10 से 15.06.10, 23.05.10 से 07.06.11 व 08.06.11 से 22.06.11 व 09.05.12 तक व 22.05.12 से 23.05.12 तक व 07.06.12 से 08.06.12 व 22.06.12 तक व 27.04.12 से 07.05.12 तक हैं।

उपरोक्त विवरण अनुसार प्रार्थीया मनरेगा कार्यो पर मजदूरी करने गई जिसकी मजदूरी का बकाया भुगतान शीघ्र दिलवाने की आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज कर परिवेदिका की फोटो प्रति विकास अधिकारी एंव कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर को भिजवाकर परिवेदना के संबंध में जांच कर जांच/तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

विकास अधिकारी एंव कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रकरण में जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि–

1. हमारे कार्यालय के पत्र क्रमांक 24693 दिनांक 25.01.14 के द्वारा ग्राम सेवक तथा सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत गोडियावास से शिकायत के संबंध में रिकार्ड मंगवाया गया तथा कार्यालय के लेखा सहायक श्री अखिलेश जोशी को भेजकर समस्त रिकार्ड/दस्तावेज की जांच करने हेतु पाबन्द किया गया पत्र की प्रति संलग्न हैं।
2. उक्त जांच के आधार पर पाया गया कि शिकायतकर्ता को वास्तव मे भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जो खाता संख्या मस्टरोल में दर्शाया गया है यह खाता संख्या शिकायतकर्ता भंवरी देवी/गुमानसिंह न होकर अन्य श्रमिक भंवरी देवी/गोम सिंह के

है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा किये गये समस्त कार्य(माह मई 2010 से जून 2012 के मध्य आठ पक्षों) का भुगतान भंवरी देवी/गोम सिंह के खाते मे जमा हुआ है। इस संबंध में ग्राम सेवक, सरपंच, ग्राम रोजगार सहायक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस पत्र क्रमांक पंसश्री/महानरेगा/2014/24718 दिनांक 27.01.14 की प्रति संलग्न हैं।

विकास एंव कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर को इस कार्यालय से पुनः पत्र लिखकर निर्देश दिये गये कि परिवेदिका को बकाया मजदूरी का भुगतान कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

विकास एंव कार्यक्रम अधिकारी के पत्र दिनांक 18.03.14 द्वारा प्रस्तुत पत्र अनुसार परिवेदिका को उसकी मजदूरी का भुगतान SBBJ के चैक नं. 61036440538 दिनांक 11.03.14 द्वारा कर दिया जाना अकित किया है तथा परिवेदिका द्वारा दी गई प्राप्ति रसीद की प्रति भी प्रेषित की हैं।

श्रीमति भंवरी देवी की 16.05.10 से 31.05.10, 1.06.10 से 15.06.10, 23.05.11 से 7.06.11, 8.06.11 से 22.06.11, 27.04.12 से 7.05.12, 09.05.12 से 22.05.12, 23.05.12 से 7.06.12 एंव 08.06.12 से 22.06.12 तक की मजदूरी का भुगतान अन्य भंवरी देवी/गोमसिंह के नाम जमा किया जाता रहा है तथा परिवेदिका को 3 वर्षो तक का भुगतान नहीं हो सका। यह भी भी नहीं हो सकता कि परिवेदिका ने कार्य करने के उपरांत मजदूरी प्राप्त करने के प्रयास नहीं किये होंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक ने परिवेदिका की तकलीफ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना प्रतीत होता है। थक हार कर परिवेदिका को अपनी परिवेदना मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करनी पडी। परिवेदना प्रस्तुत होने के भी दो माह बाद भुगतान किया गया है जो धीमे कार्य करने की पराकाष्ठा है। इस लापरवाही और परिवेदिका की मानसिक परिवेदना को दृष्टिगत उत्तरदायी कार्मिको से श्रमिक को 1500 रूपये मुआवजे के रूप में भुगतान करवाया जाना उचित है।

अतः महात्मा गांधी नरेगा एक्ट 2005 की ऑपरेशनल गाईडलाईन्स 2013 (चौथा संस्करण) के पैरा संख्या 8.8(i) के अनुसरण में मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 15(1) अन्तर्गत सरपंच, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक से 500–500 रूपये मुआवजे के रूप में परिवेदिका को भुगतान करवाया जाना न्यायोचित है।

## अवार्ड

1. परिवेदिका को 3 वर्षो तक मजदूरी का भुगतान नहीं करने एंव परिवेदना प्रस्तुत के पश्चात् भी 2 माह बाद देरी से भुगतान करने के दोषी सरपंच, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक प्रत्येक से 500–500 रू. कुल 1500 रूपये मुआवजा के रूप में परिवेदिका को भुगतान किया जावें।
2. उक्त 3 वर्षो की अवधि में संबंधित कार्मिक बदल गये हों तो अवधि में कार्यरत कार्मिको की कार्यकाल अवधि को 500/–रू. हेतु समानुपात में विभाजित कर भुगतान किया जावें।

**(एन.के.शर्मा RAS,Retd)**
**लोकपाल महानरेगा**
**जिला अजमेर**

क्रमांक / जिपअ / महानरेगा / लोकपाल / 2013–14 / 2473-75 दिनांक 13/3/14

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान् आयुक्त एंव शासन सचिव महानरेगा राजस्थान सरकार जयपुर।
3. श्रीमान् जिला कार्यक्रम समन्वयक एंव जिला कलक्टर अजमेर।
4. श्रीमान् अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक महानरेगा एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् अजमेर।
5. श्रीमान् विकास अधिकारी एंव कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर।
6. परिवेदिका श्रीमति भंवरी देवी ग्राम नौलखा ग्राम पंचायत गोडियावास पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर।

(एन.के.शर्मा RAS,Retd)
लोकपाल महानरेगा
जिला अजमेर

राजस्थान सरकार

# कार्यालय लोकपाल महात्मा गांधी नरेगा जिला सवाईमाधोपुर

क्रमांक–महात्मा गांधी नरेगा/लोकपाल/13–14/ दिनांक:

परिवाद अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005

परिवाद संख्या 23/2013

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| श्री देवी शंकर शर्मा एडवोकेट | | श्रीमति बीना शर्मा सरपंच<br>ग्राम पचांयत शिवाड़<br>जिला सवाई माधोपुर |

## निर्णय (AWARD)

परिवादी श्री देवीशंकर शर्मा एडवोकेट 47 बाल मन्दिर कोलोनी सवाई माधोपुर ने एक शिकायत दिनांक 24.08.2012 को श्रीमति बीना शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर, के विरूद्व महात्मा गांधी नरेगा कार्यो मे अनियमितता करनें की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को की गयी, जो निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक एफ61 (10)ग्रावि/म.न./नि.सा.अ./शिकायत/स0मा0/2012–13/ 6427 जयपुर दिनांक 01.11.2012 के माध्यम से कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को दिनांक 21.11.2012 को प्राप्त हुई जिसमे शिकायत में अंकित तथ्यों की बिन्दुवार जॉच करवाकर 15 दिवस मे अभिलेखिय (Documentary) तथा पूर्ण तथ्यों के साथ जॉच प्रतिवेदन अति0 मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान कार्यालय को प्रेषित करने को कहा गया।

इस सन्दर्भ में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर के पत्रांक ईजीएस शिकायत/स0मा0/2012–13/1725 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) एंव विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर को शिकायत की जॉच कर 7 दिवस मे जॉच प्रतिवदेन भिजवाने को कहा गया।

प्रकरण के सन्दर्भ मे कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर की जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.10.2013 को कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के कार्यालय से प्राप्त हुई। जॉच रिपोर्ट के सन्दर्भ मे एक और पत्र इस कार्यालय सामाजिक अंकेक्षण का पत्रांक 6164 दिनांक 12.11.2013 कार्यालय जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर के कार्यालय मे 04.12.2013 को प्राप्त हुआ। जिसमें कहा गया है कि जॉच रिपॉर्ट पर अभिलेखिय साक्ष्य सहित अनुशंषा कर टिप्पणी भिजवाये । जॉच रिपोर्ट के साथ दस्तावेज सलंग्न नही होने से पत्रांक–लोकपाल/शिकायत/स0मा0/2013–14/440 दिनांक 29.11.2013

द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करनें के लिए कार्यक्रम अधिकारी ईजीएस एवं विकास अधिकारी स0मा0 को पत्र भिजवाया गया।

पत्रांक–ईजीएस/शिकायत/स.मा./2012–13/1725 दिनांक 23.11.2012 की अनुपालना में प्राप्त कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) एवं विकास अधिकारी पं. स. सवाई माधोपुर की बिन्दुवार तथ्यात्मक जॉच रिर्पोटः–

1 शिकायतकर्ता द्वारा सूचना के प्राधिकार के तहत जो सूचनाएँ चाही गयी थी वे सब उपलब्ध करवा दी गयी थीं।

2 ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं मे जो राशि व्यय की गयी है,उसका सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करवाकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति संलग्न हैं।

3 श्री गिरिजा शंकर शुक्ला मूलतः ईसरदा के रहने वाले है श्री शुक्ला इस विभाग से दिनांक 31.10.12 को सेवानिवृत हो चुके हैं,सरपंच की सम्पति/मकान इत्यादि की जॉच का विषय इस कार्यालय की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है सिर्फ निर्माण कार्यो में की गयी अनियमिता की वसूली का दायित्व इस विभाग का हैं।

4 निर्माण कार्यो पर किये गये व्यय का मूल्यांकन माप पुस्तिका में दर्ज सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा किया गया है उपयोगिता प्रमाण–पत्र! माप पुस्तिका की फोटो प्रति संलग्न हैं।

5 उपयोगिता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

6 कार्य की नाप तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रचलित बीएसआर के आधार पर की गयी है,अन्दाजे से व्यय की घोषणा करना उचित प्रतीत नही होता है।

7 पंचायत राज के नियमानुसार आडिट फीस पंचायत समिति में जमा करवानी होती है,इसमे किसी प्रकार की राशि कम/अधिक होने का कोई प्रावधान नहीं है।

8 कार्य का मूल्यांकन बीएसआर के आधार पर पंचायत समिति के तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया है इस व्यय पर अन्दाजे से टिप्पणी करना न्यायोचित नही है।

9 महात्मा गॉधी नरेगा में श्रमिको का भुगतान श्रमिक के खाते द्वारा किया जाता है,इसमें किसी प्रकार का कमीशन /अनियमितता की कोई संभावना नही हैं कार्यालय द्वारा कोई शिकायत कमीशन की प्राप्त नहीं है।

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो पर व्यय की गयी राशि का भुगतान/समायोजन नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी होने,कार्य की माप पुस्तिका में दर्ज होने के बाद ही की गयी हैं।

शिकायत बिन्दु 4 से 8 तक सूचना के मद संख्या 1,2,3,4,5,7,25, 26, 29 के कार्य एमपी लैड, एमएलए लैड , बीआरजीएफ, टीएफसी व एसएफसी से सम्बन्धित है। अतः लोकपाल (मनरेगा) के कार्य क्षेत्र में नही होने के कारण इन बिन्दुओं पर लोकपाल (मनरेगा) द्वारा टिप्पणी देना उचित नही होगा ।

शिकायत बिन्दु संख्या 9 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में खर्चा 933563 बताया गया है,उसके फर्जी मस्टररोल भरकर पंचायत समिति भेजी गयी है और भुगतान किया गया है।

टिप्पणी :–

1. ग्राम पंचायत द्वारा सूचना के अधिकार के तहत 835000 रूप्ये की राशि आय मद में दर्शायी है व्यय मद में 933563 रूप्ये की राशि दर्शायी है जिसमें 98563 रूप्ये अधिक व्यय मद में है जबकि ग्राम पंचायत को पंचायत समिति से 1035000रूप्ये की राशि प्राप्त हुई है, आय मद में 835000 रूप्ये की दर्शायी गयी राशि सही नही है। इस प्रकार आय मद में 1035000 रूपेय तथा व्यय 933563 रू. का था । नरेगा में सामग्री खरीद अनुमोदित दरों पर मैसर्स मोती लाल मीना कान्टेक्टर सारसोप से की गयी है।

महात्मा गांधी नरेगा में श्रमिको का भुगतान सीधे ही श्रमिकों को बैंक के माध्यम से किया जाता है इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना नही है।

**<u>महात्मा गांधी नरेगा योजना में ग्राम पंचायत शिवाड़ द्वारा किये गये व्यय पर टिप्पणी निम्नानुसार है–</u>**

1. <u>पेन्टर को वाल पेन्टिंग का भुगतानः–</u>

   इस कार्य पर व्यय महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशो के अनुरुप किया गया है,इस व्यय का समायोजन रुपये 6250.00 प्रशासनिक व्यय के अर्न्तगत किया गया हैं।

2. <u>टेन्ट का भुगतानः–</u>

   श्रमिको को नरेगा अधिनियम के अनुसार कार्य स्थल पर छाया की व्यवस्था करनी होती है अधिनियम की अनुपालना के अर्न्तगत टेन्ट का भुगतान 4160.00 रुपये प्रशासनिक मद में किया गया हैं।

3. <u>कार्यो पर मेट का भुगतानः–</u>

   नरेगा दिशा निर्देशो के अनुसार कार्य की देखभाल के लिए औसत 50 श्रमिकों पर एक मेट का नियोजन किया जाता है जिसका भुगतान स्वीकृत कार्य की सामग्री मद से रुपये 3683.00 किया गया है।

4. <u>सरपंच श्रीमति बीना देवी शर्मा को मानदेय का भुगतानः–</u>

   राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार सरपंच शिवाड़ को मानदेय भुगतान रुपये 40000.00 प्रशासनिक मद से किया गया हैं।

5. <u>भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण कार्यः–</u>

| | श्रम | सामग्री |
|---|---|---|
| स्वीकृत राशि 10.00 लाख | 0.92 | 9.08 |
| मूल्यांकन राशि 12.07 लाख | 1.25 | 10.82 |

ग्राम पंचायत द्वारा इस कार्य पर 12.07 लाख का व्यय किया गया हैं जबकि इस कार्य पर 10 लाख स्वीकृत हैं, इस प्रकार अधिक व्यय राशि 2.07 लाख रूपये की ग्राम पंचायत की वसूली की अनुशंषा की जाती है।स्वीकृति से अधिक व्यय कार्य की संशोधित स्वीकृति के अभाव में इसका वसूली ग्राम पंचायत से की जानी प्रस्तावित हैं। आरटीआई सूचना में इस कार्य पर 879470/–पर व्यय दिखाया गया हैं,आज की स्थिति में व्यय इस राशि से ज्यादा हैं उसका तकमीना/डेविएशन संलग्न किया गया है हैं। यह कार्य पूर्ण हो चुका हैं।

तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के पैरा 7.4.2(vii) के अनुसार निर्माणाधीन कार्य पर पूर्व स्वीकृत राशि से अधिक व्यय अनियमित व्यय माना जावेगा। अतः किसी भी स्थिति में कार्य की संशोधित स्वीकृति प्राप्त किये बिना स्वीकृत राशि से अधिक व्यय ग्राम पंचायत से वसूलने योग्य है।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण कार्य में कार्यकारी ऐजेन्सी ग्राम पंचायत शिवाड़ थी। अतःतकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के पैरा 25 के अनुसार निर्माण कार्य में लागत वृद्धि के लिए ग्राम पंचायत सरपंच एवं तत्कालिक ग्राम पंचायत सचिव व्यक्तिशः रुप से जिम्मेदार है।

**अतः आदेशित है कि**:– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण कार्य पर व्यय 12.07 लाख रूप्ये स्वीकृत राशि 10.00 लाख से 2.07 लाख रूप्ये अधिक व्यय है जो अनियमित व्यय माना जावेगा इस कार्य में कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत शिवाड़ होने के कारण अनियमित व्यय के लिए ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव जिम्मेदार है। अतः ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमति बीना शर्मा से 103500 रूप्ये तथा तत्कालिक ग्राम पंचायत सचिव श्री गिरिजा शंकर शुक्ला से 103500 रूप्ये वसूल किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

(बी.पी.मीना)
लोकपाल (मनरेगा)
सवाई माधोपुर

क्रमांक–महात्मा गांधी नरेगा/लोकपाल/13–14/718 दिनांकः– 19/3/14

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2 आयुक्त एवं शासन सचिव (महात्मा गांधी नरेगा)ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग.–3) राजस्थान सरकार जयपुर।
3 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर।
4 निदेशक सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयुपर को उनके पत्रांक एफ 61(10) ग्रावि/म.न./नि.सा.अं./शिका./स0मा0/2012–13 6427 दिनांक 1.11.2012 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ ।
5 विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानेरगा, पंचायत समिति सवाई माधोपुर
6 परिवादी श्री देवीशंकर शर्मा एडवोकेट 47, बाल मन्दिर कोलोनी सवाई माधोपुर।
7 रक्षित पत्रावली।

(बी.पी.मीना)
लोकपाल (मनरेगा)
सवाई माधोपुर

राजस्थान सरकार

# कार्यालय लोकपाल महात्मा गांधी नरेगा जिला सवाईमाधोपुर

क्रमांक–महात्मा गांधी नरेगा/लोकपाल/13–14/ दिनांक:–

परिवाद अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005

परिवाद संख्या 20/2013–14

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| अशोक मीना व अन्य<br>ग्राम नानणवास | | श्रीमति फौरन्ता देवी सरपंच<br>ग्राम पंचायत गोठ<br>पंचायत समिति बामनवास<br>जिला सवाई माधोपुर |

## निर्णय (Award)

परिवादी श्री अशोक मीना,कमलेश,शम्भूदयाल मीना व अन्य ग्राम नानणवास ग्राम पंचायत गोठ पंचायत समिति बामनवास जिला सवाई माधोपुर के द्वारा सरपंच श्रीमति फौरन्ता देवी ग्राम पंचायत गोठ के विरुद्ध ग्राम पंचायत गोठ में माह 02.02.2011 से 15.15.2011 तक करवाये गये कार्य का मजदुरो के फर्जी अंगूठा निशानी करके पेमेन्ट उठाकर करने बाबत् जिला कलेक्टर को दिनांक 23.06.2011 को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की। इस शिकायत पर अशोक मीना, कमलेश आशाराम अमरलाल, हाकिम सिंह, हरिप्रसाद, वादनी बैरवा, रामलाल, छोटा, शम्भुदयालव रुकमणी वार्ड मेम्बर के नाम से हस्ताक्षर हैं। जिसमे लिखा हैं "कि सेवा मे निवेदन हैं कि हम प्रार्थीगण ग्राम पंचायत गोठ के रहने वाले है मजदुरी पेशा गरीब आदमी हैं तथा ग्राम नाननवास में सार्वजनिक तलाई में दिनांक 02.02.2011 सें 15.02.2011 में करीबन 32 मजदुरों द्वारा मस्टररोल में नरेगा के तहत कार्य किया गया हैं। परन्तु इन 32 व्यक्तियों में से पप्पू पुत्र रामहेत जाति बैरवा विदेश मे चला गया है जिसकी मेट भरोसी द्वारा मस्टररोल में फर्जी हाजरी दर्ज कर व फर्जी दस्तखत कर उसका पेमेन्ट उठा रहा हैं एवम् शोभा देवी पत्नी प्रेमराज का आंगनबाडी में सहायिका के पद पर कार्यरत हैं यह भी मेट की भोजाई हैं इस की भी फर्जी हाजरी मस्ट्रोल में दर्ज कर रखी है व फर्जी पेमेण्ट उठाया जा रहा है इसी प्रकार हम प्रार्थीगण कें भी सरपंच फौरन्ती देवी द्वारा सभी से जॉब कार्ड लेकर हमारे फर्जी दस्तखत अंगूठा निशानी करके मेट व सरपंच फोरन्ती देवी ने दिनांक 02.02.2011से 15.02.2011 की मस्ट्रोल का फर्जी तरीके से सभी 32 व्यक्तियों का पेमेण्ट उठा लिया व हड़प कर गये। प्रार्थीगणों कों एक रूपया भी नहीं दिया गया है। मजदूरी के रूपया मांगने पर सरपंच व मेट कहते है कि तुम्हारे जंचे वहां जाकर कार्यवाही करो तुम लोगों को कोई पैसा नहीं मिलेग।

अतः निवेदन है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवाई जाकर हम गरीबों को 12 दिन का प्रत्येक व्यक्ति को 1200 दिलवानें की कृपा करें , एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जावें"।

अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी स0मा0 के पत्र क्रमांक 652 दिनांक 06.07.2011 के द्वारा शिकायत की फोटो प्रति विकास अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी (ईजीएस) पंचायत समिति बामनवास को भिजवाकर प्रकरण में तथ्यात्मक जांच करके

रिपोर्ट 7 दिवस में भिजवानें को कहा। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर स्मरण पत्रांक 1541 दिनांक 22.11.2011 ,05.12.2011व 28.02.2012भिजवायें गयें। बार –बार स्मरण पत्र जारी होने के उपरान्त भी जांच रिपोर्ट 2 वर्ष 4 माह के बाद भी अप्राप्य होने पर स्मरण पत्र क्रमांक लोकपाल / शिकायत / बामनवास /2013–14/439दिनांक 29.11.2013 कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बामनवास को भिजवाया जिसके सन्दर्भ में कार्यक्रम अधिकारी ईजीएस एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बामनवास की जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 2938 दिनांक 12.12.2013प्राप्त हुई जो इस प्रकार है –

ग्राम पंचायत गोठ सरपंच के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में गठित स्थाई जांच समिति की रिपोर्ट एवं मेट भरोसी पुत्र रामधन बैरवा निवासी नाननवास ग्राम पंचायत गोठ के शपथ पत्र एवं सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत गोठ के बयान तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर पाया गया कि पप्पू पुत्र रामहेत जाति –बैरवा , निवासी नाननवास ग्राम पंचायत गोठ संबंधित कार्य पर 02.02.2011से 15.02.2011तक श्रमिक के रूप में कार्यरत था। जिसकी मजदूरी का भुगतान उनके जी.एस.एस.मोरपा के खाता संख्या 609के राशि 1200रू. चैक संख्या 143881दिनांक 01.06.2011के द्वारा में समायोजित कर जमा करवायी गई है ।

श्रीमती शोभादेवी पत्नि प्रेमराज जो कि आंगनबाडी में सहायिका पद पर कार्यरत है के संबंध में पाया गया कि 02.02.2011के 16.02.2011मध्य मस्टररोल संख्या 5702 के क्रम संख्या 32पर एवं 16. 02.2011 से 28.02.2011के मस्टररोल संख्या 5728के क्रम संख्या 14 पर गीता पत्नि प्रेमराज क्रमशः12दिवस एवं 11दिवस मजदूरी किया जाना पाया गया है । जिसका भुगतान राशि 1200रू. एवं 1100रू. उनके जी.एस.एस.मोरपा के खाता संख्या 386 में चैक संख्या 143881 दिनांक 01.06. 2011में समायोजित कर जमा करवायी गई।

कार्य पर मेट भरोसी पुत्र रामधन जाति – बैरवा, निवासी –नाननवास , ग्राम पंचायत गोठ के हल्फ के बयान के आधार पर शोभादेवी पत्नि प्रेमराज जो कि आंगनवाडी सहायिका पद पर कार्यरत है के द्वारा इस कार्य पर मजदूरी नही की गई है।

संबंधित कार्य पर शिकायत कर्ता ने इस पखवाड़े पर कार्य नहीं किया गया है। इन शिकायत कर्ताओं का नाम मस्टररोल में दर्ज नहीं है। अतः इनकों श्रम भुगतान नहीं किया जा सकता।

उक्त कार्य पर 02.02.2011से 15.02.2011तक कुल 32श्रमिकों द्वारा 384मानव दिवस अर्जित किये गये है। जिनका भुगतान उनके निजी खातों में जी.एस.एस. मोरपा में ग्राम पंचायत के चैक संख्या 143881दिनांक 01.06.2011 राशि 38400 रू. द्वारा जमा किया गया है ।उक्त श्रमिकों के इनके निजी खातों में से सरपंच/मेट द्वारा पैसा निकालना असंभव है। जिसकी जांच पंचायत समिति स्तर से किया जाना संभव नहीं है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि शिकायत कर्ता कों भुगतान करने के योग्य नहीं है इनके द्वारा 1200 रू.मजदूरी के मांगे जाना निराधार है। कृपया शिकायत को निरस्त करने का श्रम करे।

शिकायत के सन्दर्भ में ग्राम नाननवास में सार्वजनिक तलाई खुदाई रास्ते के पास मस्टररोल संख्या 5701 व 5702 अवधि 02.02.2011 से 25.02.2011के मेट भरोसी पुत्र रामधन बैरवा द्वारा 10रू.के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर बहल्प बयान प्रस्तुत किये है ।

शपथ –पत्र :– मैं भरोसी पत्नि रामधन जाति बैरवा उम्र 30 वर्ष निवासी नाननवास तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राज0निम्न रूप से बहल्प बयान करता हूं कि :–

"मैं बहल्फ बयान करता हूॅ कि उक्त कार्य पर मस्ट्रोल संख्या 5701से 5702एवं 5728स्वीकृत जारी की गई थी एवं इस कार्य पर 02.02.2011से 15.02.2011तक में स्वयं मेट था। ।

मैं बहल्फ बयान करता हूॅ कि पप्पू पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी नाननवास द्वारा उक्त कार्य पर दिनांक 02.02.2011 से 15.02.2011तक कुल 12 दिवस कार्य किया गया है।

मैं बहल्फ बयान करता हूॅ कि मस्ट्रोल पर कार्य करने वाली महिला श्रमिक गीता पत्नि प्रेमराज भी जिसके द्वारा 02.02.2011से 15.02.2011 तक 12दिवस एवं 16.02.2011तक 11 दिवस कुल 23दिवस कार्य किया गया है ।

मैं बहल्फ बयान करता हूॅ शोभादेवी पत्नि प्रेमराज जोकि आंगनबाडी सहायिका पद पर है के द्वारा इस कार्य पर मस्ट्रोल पर मजदूरी नही की गई है अन्य पर की गई हो तो मुझे ज्ञात नहीं है ।

मैं बहल्फ बयान करता हूॅ कि उक्त कार्य पर मेरी मजदूरी के अलावा मैने किसी भी श्रमिक के खाते से पैसे नहीं लिये है।

मैं बहल्फ बयान करता हूॅ उक्त बयान मेरे द्वारा पूर्ण होशहवास में दिये गये है कार्य मेरे द्वारा करवाया गया है।

**ग्राम सेवक पदेन सचिव व सरपंच द्वारा स्पष्टीकरण –**

उक्त कार्य 2.02.2011से 15.02.2011तक प्रगतिशील था । एवं इस पखवाडें में मस्ट्रोल नं0 5701,5702एवं 5728जारी की गई थी।

उक्त कार्य की मस्ट्रोल नं0 5701के क्रम संख्या 02 पर दर्ज पप्पू पुत्र रामहेत बैरवा निवासी नाननवास के द्वारा दिनांक 02.02.2011से 15.02.2011तक कुल 12 दिवस कार्य किया गया है जिसका भुगतान उनके जीएसएस मोरपा के खाता संख्या 609में राशि 1200 रू. जो कि कार्य मेट भरोसी द्वारा दर्ज हाजरी की जमा की गई है। इस आधार पर भुगतान किया गया है।

शिकातकर्ता श्री अशोक मीना को पत्रांक लोकपाल/शिकायत/बौली/2013–14/626 दिनांक 3.2.2014 द्वारा ग्राम नाननवास भिजवाया गया जिसमें शिकायत के पक्ष में कोई साक्ष्य दास्तावेज अगर शिकायत कर्ता के पास मौजूद हो तों 15 दिवस में लोकपाल कार्यालय में प्रस्तुत करें किन्तु तय सीमा तक शिकायत कर्ता द्वारा कोई साक्ष्य या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि शिकयत झूठी है।

कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) एवं विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट, मेट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा स्पष्टीकरण तथा कार्य की मस्टररोल का अध्ययन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते है ।

1. मस्टररोल सं0 5701 अवधि 02.02.2011से 15.02.2011 तक कुल 32श्रमिको द्वारा 384मानव दिवस अर्जित किये गये जिनका भुगतान उनके निजी खाते मे जीएसएस मोरपा मे ग्राम पंचायत के चैक सं0143881दिनांक 01.06.2011राशि 38400रू.द्वारा जमा किया गया है श्रमिकों के निजी खातो मे से सरपंच/मेट द्वारा पैसा निकालना संभव नहीं है।
2. पप्पू पुत्र रामहेत बैरवा नें मस्टररोल सं0 5701 अवधि 02.02.2011 से 15.02.2011कार्य किया है जिसका नाम मस्टररोल में क्रमांक 2 पर है जिसनें 12 दिन श्रमिक के रूप में कार्य किया है जिसका भुगतान उनके जीएसएस मोरपा के खाता संख्या 609में राशि 1200रू. जमा की गई है।
3. शोभादेवी पत्नि प्रेमराज जो कि आंगनबाडी सहायिका के पद पर है जिसके द्वारा मस्ट्रोल संख्या 5701में श्रमिक के रूप में मजदूरी नहीं की है । जिसका मस्ट्रोल मे नाम दर्ज नहीं है।

4. गीता पत्नि प्रेमराज जिसका नाम मस्ट्रोल सं0 5701मे क्रमांक 32 पर है उसके द्वारा श्रमिक के रूप में 12दिवस कार्य किया है जिसका भुगतान 1200रू.उनके जीएसएस मोरपा के खाता सं0 386में चैक सं0 143881 दि0 01.06.2011में समायोजित कर जमा करवाया गया है ।
5. शिकायत कर्ताओं के नाम मस्ट्रोल सं05701अवधि 02.02.11से 15.02.11मे नाम नही होने से, इनके द्वारा 1200 रू.मजदूरी के मांगे जाना निराधार है।

**इस प्रकरण मे वाद का एक ही मुख्य बिन्दु है –**

क्या मस्टररोल सं0 57001अवधि 02.02.11से 15.02.11में करवाये गये तलाई खुदाई के कार्य में सरपंच द्वारा फर्जी अंगुठा निशानी करके श्रमिकों का भुगतान उठाया या नहीं ।

मस्ट्रोल सं0 5701में कुल 32श्रमिको के नाम दर्ज है जिनके कुल 384 हाजरी (श्रम दिवस) जिनका भुगतान उनके निजी खातां में जीएसएस मोरपा में ग्राम पंचायत के चैक सं0 14388 दिनांक 01.06.11द्वारा जमा किया गया है श्रमिकों के निजी खातों में से सरपंच द्वारा पैसा निकालना संभव नहीं है । अतः शिकायत निराधार व झूठी है जिनका अनुमोदन कार्यक्रम अधिकारी ईजीएस की जांच रिपोर्ट व मेट के शपथ पत्र से भी होता है। अतः शिकायत संदेह के परे साबित होने के साक्ष्यों के अभाव में चलने योग्य नही है।

फैसला निर्णय में शुमार होकर पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम में हो।

(बी.पी.मीना)
लोकपाल (मनरेगा)
सवाई माधोपुर

क्रमांक–महात्मा गांधी नरेगा/लोकपाल/13–14/626 दिनांकः– 7/7/14

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1.अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2.आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा)ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग.–3) राजस्थान सरकार जयपुर।
3.जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर।
4.अति. जिला कलेटर को उनके पत्रांक प–1(2)सतर्कता/11/2418/दिनांक 29.06.11 के क्रम में ।
5.अति. जिला कार्यकम समन्वयक, (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
6.विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी महानेरगा, पंचायत समिति बामनवास ।
7.परिवादी श्री अशोक मीना ग्राम नानणवास ग्राम पं0गोठ, तह0व पं. समिति बामनवास।
8.रक्षित पत्रावली।

(बी.पी.मीना)
लोकपाल (मनरेगा)
सवाई माधोपुर

5936